रक्षा कार्मिकों के सेवा संबंधी मामलों का न्यायालयों में लम्बित पड़ा होना

1423. **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी आलिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 30 नवम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार रक्षा अधिकारियो/सैनिको के सेवा सबधी कितने मामले उच्चतम-न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयो मे लम्बित पडे है ,

(ख) क्या सरकार रक्षा कार्मिको के सेवा संबंधी मामलो को किसी आन्तरिक प्रणाली के माध्यम से निपटाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के बारे मे विचार कर रही है , और

(ग) यदि हा, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह): (क) 30-11-1990 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय मे 100 मामले और विभिन्न उच्च न्यायालयो मे 1233 मामले लम्बित पडे है।

(ख) जी, नही ।

(ग) प्रश्न नही उठता ।

Doordarshan Kendra at Aizwal

1424 SHRI MOHAMMED AMIN Will the PRIME MINISTER be pleased to state

(a) whether it is a fact that the Aizwal Doordarshan Kendra does not have a telephone connection;

(b) whether it is also a fact that the city is far away from the Doordarshan Kendra; and

(c) if so, whether a telephone line will be sanctioned for the Kendra soon at least from security point of view?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY) (a) to (c) Two telephones have been provided at TV transmitting station, Aizwal, which is situated about 12 KMs away from the city

कृषि मजदूरों की मजदूरी मे संशोधन

1425. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत 15 वर्षों के दौरान ग्रामीण और कृषि मजदूरो की मजदूरी मे कितनी बार सशोधन किया गया , और

(ख) विभिन्न राज्यो मे कृषि मजदूरो के लिए मजदूरी की वर्तमान दरे क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) पिछले 15 वर्षो के दौरान ग्रामीण और कृषि श्रमिको की मजदूरी मे किये गये सशोधनो की सख्या के सम्बन्ध मे इस मत्रालय द्वारा सूचना नही रखी जाती है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन ग्रामीण कृषि श्रमिको की न्यूनतम दरो के नियतन/सशोधन के लिए राज्य सरकारे समुचित सरकारे है।

(ख) विभिन्न राज्यो मे कृषि श्रमिको के लिए विद्यमान मजदूरी के सम्बन्ध मे सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । (नीचे देखिए)